D:\R K Somwal Folder\General\Election Leave 2017 Doc

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र/2/2013पार्ट जयपुर, दिनांकः 16/7/21

–: आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के 09 जिलों की 18 नगरीय निकाय के उपचुनाव से संबंधित प्राप्त पत्र मूल ही संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। उपचुनाव दिनांक 26.7.2021 (सोमवार) को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाएें।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने के लिए नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सम्बन्धित अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी),मुख्यमंत्री कार्यालय ।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. उप सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान,जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 2938 दिनांक 6.7.2021 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक,स्थानीय निकाय विभाग,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक राजस्व मण्डल,अजमेर।
14. ~~निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य~~ प्रशासन विभाग ।
15. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, भरतपुर,बीकानेर,कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर।
16. जिला कलक्टर, अजमेर, भरतपुर, चुरु, हनुमानगढ, झालावाड झुझुनू नागौर,प्रतापगढ, पाली।
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव,सामानय प्रशासन (ग्रुप–1,3,4,5,6)विभाग /सम्पदा विभाग,शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली

13/7/21
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

340

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

विषयः– नगरीय निकायों के उप चुनाव माह जुलाई–अगस्त, 2021 – आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत्।

संदर्भः– राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान का पत्र क्रमांकः एफ 4(2)(1)/नपा/रानिआ/2021/2938 दिनांकः 08.07.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि नगरीय निकायों के उप चुनाव माह जुलाई–अगस्त, 2021 के कार्यक्रमानुसार आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न–उपर्युक्तानुसार।

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या : 1446
दिनांक : 8/7/21

Urgent

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

1.डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, साप्र. (ग्रुप–1) विभाग।
2.उपशासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय/सम्पदा विभाग।
3.मुख्य लेखाधिकारी, साप्र. (ग्रुप–4) विभाग।
4.सहायक शासन सचिव, साप्र. (ग्रुप–2,3 व 6) विभाग।
5.सहायक शासन सचिव, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग।
6.सहायक शासन सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।

अशाः टीप. क्रमांकः प.15(8)साप्र/5/2014
जयपुर, दिनांकः 08 JUL 2021

प्रतिलिपिः–उप महाप्रबंधक/वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान एवं ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को संदर्भित पत्र की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि नगरीय निकायों के उप चुनाव माह जुलाई–अगस्त, 2021 की आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करावें।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

Room No.1124 Main Building, Secretariat, Jaipur-302005
Tel.No.(J.S.)-0141-2227874 (Fax)-5116626, 2227928, 2227874
E-Mail-asgad5@rajasthan.gov.in Website: www.gad.rajasthan.gov.in

341

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

[illegible]

क्रमांक: एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2021/2938 दिनांक: 06.07.2021

[illegible]

विषय:- नगरीय निकायों के उप चुनाव माह जुलाई-अगस्त, 2021 – आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 09 जिलों की 18 नगरीय निकायों में उप चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 12.07.2021 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 26.07.2021 को होगा। रिक्त पदों की सूची एवं उप चुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लागू हो गये हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करवाई जावे। आदर्श आचरण संहिता की पालना हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है –

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुड़े सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

संलग्न:– 1. चुनाव कार्यक्रम एवं रिक्त पदों की सूची।
2. आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका

आज्ञा से,

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2021/2939 दिनांक: 06.07.2021

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, भरतपुर, चुरू, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़ एवं पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

E:\NAGARPALIKA\00 NP\00 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(1) NP SEC 2021_bye-election , 2021.doc
46

338

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

उप चुनाव हेतु नगरीय निकायों में रिक्त पदों का विवरण

क.सं.	जिले का नाम	क.सं.	नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड का विवरण	रिक्त अध्यक्षीय पदों का विवरण
1.	अजमेर	1.	न.नि. अजमेर	28	
		2.	न.प. किशनगढ	46	
2.	भरतपुर	3.	न.नि. भरतपुर	04	
3.	चुरू	4.	न.पा. रतननगर	06	अध्यक्ष
		5.	न.पा. सुजानगढ	50	
		6.	न.पा. छापर	24	
4.	हनुमानगढ	7.	न.पा. नोहर	36	
		8.	न.पा. नोहर	37	
		9.	न.पा. भादरा	12	अध्यक्ष
		10.	न.पा. भादरा	35	
5.	झालावाड	11.	न.प. झालावाड	08	
		12.	न.पा. पिडावा	19	
6.	झुंझुनू	13.	न.प. झुंझुनू	52	
		14.	न.पा. खेतडी	20	
7.	नागौर	15.	न.पा. डीडवाना	06	
8.	प्रतापगढ	16.	न.प. प्रतापगढ	23	
9.	पाली	17.	न.पा. सुमेरपुर	33	
		18.	न.पा. सादडी	10	

342

उप चुनाव कार्यक्रम

सदस्य पद के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	12.07.2021 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	16.07.2021 (शुक्रवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	17.07.2021 (शनिवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	19.07.2021 (सोमवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	20.07.2021 (मंगलवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	26.07.2021 (सोमवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	28.07.2021 (बुधवार) प्रातः 8.00 बजे से

अध्यक्ष के लिए

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	29.07.2021 (गुरूवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	30.07.2021 (शुक्रवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	31.07.2021 (शनिवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	02.08.2021 (सोमवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	02.08.2021 (सोमवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	05.08.2021 (गुरूवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	05.08.2021 (गुरूवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

चित्रा
6/7/2021